राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2271/2022

ओमप्रकाश जाट **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, झुंझुनू, जिला झुंझुनू।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.07.2022
आदेश की दिनांक : 04.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया एवं श्री रोहित सैनी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.05.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी से की गई वसूली मय ब्याज वापिस लौटाई जावे एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के प्रावधानानुसार प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 10.09.1990 को हुई थी, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने दिनांक 11.09.1990 को कार्यग्रहण किया था। 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को दिनांक 11.09.1992 से स्थायी घोषित किया गया। इसके पश्चात् आदेश दिनांक 29.09.1997 एवं 30.10.1997 की पालना में अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 14.10.1997 के द्वारा समायोजित

किया गया, जिनका वेतनमान समान था। राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 28.06.2013 को राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2008 के अंतर्गत ग्रेड पे परिवर्तित करते हुए अध्यापक ग्रेड तृतीय की ग्रेड पे 3600 का लाभ अपीलार्थी को दिनांक 11.09.2008 से दिया गया और 4800 का लाभ दिनांक 01.07.2013 से आदेश दिनांक 27.08.2013 के द्वारा दिया गया और अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.03.2016 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। उनका कथन है कि माननीय अधिकरण द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 का लाभ दिये जाने के संबंध में आदेश जारी किया है और ग्रेड पे 4800 कम करते हुये ग्रेड पे 4200 में निर्धारित कर जो वसूली की गई है, उसे वापिस किये जाने के आदेश दिये गये हैं। अपीलार्थी अधिकरण द्वारा पूर्व में किये गये आदेशों के अनुसार ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का हकदार है, जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रदान नहीं किया जाना विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 02.05.2022 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी से की गई वसूली मय ब्याज वापिस लौटाई जावे एवं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4200, 4800 एवं 5400 प्रदान किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर की गई थी और वित्त विभाग का पत्र दिनांक 05.07.2013 की अनुपालना में अपीलार्थी को 9, 18 एवं 27 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतनमान नियमानुसार संशोधित किये गये हैं और ग्रेड पे 3600, 4200 एवं 4800 ही अपीलार्थी को देय हैं, जो नियमानुसार दिये जा चुके हैं। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियम, 1971 के अंतर्गत आदेश दिनांक 10.09.1990 के द्वारा हुई थी और आदेश दिनांक 14.10.1997 के द्वारा अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर अपीलार्थी को समायोजित किया गया। वित्त

(नियम) विभाग के ज्ञापन दिनांक 05.07.2013 में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि दिनांक 01.07.2013 से तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति के समय ग्रेड पे 3600 होती है तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. की ग्रेड पे क्रमशः 4200, 4800 एवं 5400 रुपये है। यह विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है कि एक पद के दो वेतनमान नहीं हो सकते हैं, अर्थात् समान पद समान वेतन का सिद्धान्त लागू होता है। जो प्रयोगशाला सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित हो गए हैं वे अध्यापक के पद के चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.03.2016 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। इस प्रकार उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और आलोच्य आदेश दिनांक 02.05.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने एवं तृतीय चयनित का लाभ देय तिथी से पूर्व दिनांक 31.03.2016 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है। इस प्रकार उसे 9 एवं 18 वर्ष की सेवायें पूर्ण होने पर नियमानुसार प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान ग्रेड पे 4200 एवं 4800 प्रदान किया जावे और यदि उक्त नियमानुसार उक्त ग्रेड पे प्रदान की गई हैं तो उक्त मामले के संबंध में अपीलार्थी से कोई राशि वसूल नहीं की जावे और यदि उससे कोई राशि वसूल की गई हो तो उक्त राशि उसे तीन माह की अवधि में लौटाई जावे। यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को पूर्व में स्वीकृत चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्रत्याहृत (withdraw) नहीं किए जाएं। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह सुनिश्चित करे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य